राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2038/2024

डॉ. विजय अग्रवाल —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप 1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.06.2024
आदेश की दिनांक : 19.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर (बाल औषधि) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मेडिकल कॉलेज कोटा कर दिया गया तथा उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को प्रारम्भ में विकलांगता कोटा के तहत बाल चिकित्सा विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक अस्थि विकलांगता से ग्रस्त है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी आर्थोपेडिकल विकलांगता से ग्रस्त है। राजस्थान राज्य ने बार–बार परिपत्र जारी किए और स्थानांतरित करने वाले अधिकारियों को विकलांग व्यक्तियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में विकलांगता अधिनियम 2005 के साथ–साथ 2016 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया। व्यक्ति एक ही स्थान पर या अपने आवासीय स्थान के निकट स्थान पर है ताकि वे अन्य

व्यक्तियों के बराबर सूचारू रूप से काम कर सकें। इस संबंध में परिपत्र की प्रति अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर सहायक प्रोफेसर के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक अस्थि विकलांगता से ग्रस्त है। अतः उपर्युक्त मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अभ्यावेदन को किसी विशिष्ठ ढंग/रिती से निस्तारित करने का निर्देश नहीं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)